

खाता सं: 470
13/6/18

निविदि
13/6/18


राजस्व लोक अदालत आभियान

राजस्थान सरकार न्याय अणुके द्वाए 2018
न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दोला~~

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) बापी
क्रमांक :- कैम्प कोर्ट | 18 | 4818 आदेश दिनांक :- 13/6/18

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बापी व भूअ.नि. बापी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दोला / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बापी तहसील दोला व जिला दोला की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 3,53,127, 128, 419 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बापी	3,53,127, 128, 419	कालू सिंह पुत्र पेपसिंह	गंवरसिंह पुत्र पेपसिंह
2.	बापी	418	कालु पुत्र पेपसिंह	" "



खाता सं: 470
राजस्व लोक अदालत
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, दोला

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, दोला